राजनंदिनी मेटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 3ई–17 बी.पी. एन.आई.टी. फरीदाबाद–121001 हरियाणा (इंडिया)
निगम कार्यालय : प्लाट सं. 344, सेक्टर 3 फेज–II, आईएनटी बावल–123501 हरियाणा (इंडिया)
फोन : 01284 264194 | ईमेल : cfo@rajnandinimetal.com
वेबसाइट : www.rajnandinimetal.com | **CIN :** L51109HR2010PLC040255

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियमन 29(1) (क) के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार यानी सोमवार को दिनांक 21.06.2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर आयोजित की जानी है, जिसमें अन्य बातों के साथ, सेबी (सूचीकरण, दायित्वों और प्रकीटकरण आवश्यकता) विनियमों, 2015 के विनियमन 33 के अनुपालन में कंपनी के तिमाही वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों और 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वार्षिक के संबद्ध और उठाए गये अन्य मामलों पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए होगी।

बोर्ड के आदेश से
प्रति राजनंदिनी मेटल लिमिटेड
हस्ता./–
हेत राम शर्मा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02925990

दिनांक : 15 जून, 2021
स्थान : फरीदाबाद

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सुनील घोरावत और शिवानी घोरावत** को **25.03.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.**HHLNOI00412501** की राशि रू.**1,12,16,141.84 /- (रुपए एक करोड़ बारह लाख सोलह हजार एक सौ इकतालीस और चौरासी पैसे मात्र)** और **25.03.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधो हस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **11.06.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.1,12,16,141.84 /- (रुपए एक करोड़ बारह लाख सोलह हजार एक सौ इकतालीस और चौरासी पैसे मात्र)**और **25.03.2021** के अनुसार उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

डुप्लेक्स फ्लैट 105 जिसका सुपर एरिया 9175 स्के.फीट लगभग दसवी और ग्यारहवीं मंजिल पर, प्लॉट नं.20, टॉवर/बिल्डिंग-1, "डीएलएफ मैग्नोलिअस" से पहचाने जाने वाले ग्रुप हाउसिंग कॉम्पलेक्स में, डीएलएफ गोल्फ लिंक्स फेज़– V में स्थित, गुरुग्राम-122021, हरियाणा कार पार्किंग जगह नं.PB1 017, PB1 018, PB1 019 AND PB1 020 जो निम्नुंसार परिबद्ध है:

पूर्व :टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम :टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण :टाइटल डीड के अनुसार**

दिनांक :11.06.2021
स्थान : गुरुग्राम

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सुनील घोरावत और शिवानी घोरावत** को **25.03.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.**HHLNOI00412499** की राशि रू.**16,45,98,076.45 /- (रुपए सोलह करोड़ पैंतालीस लाख अठ्ठानवे हजार छिहत्तर और पैंतालीस पैसे मात्र)** और **25.03.2021** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधो हस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **11.06.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.16,45,98,076.45 /- (रुपए सोलह करोड़ पैंतालीस लाख अठ्ठानवे हजार छिहत्तर और पैंतालीस पैसे मात्र)**और **25.03.2021** के अनुसार उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

डुप्लेक्स फ्लैट 105 जिसका सुपर एरिया 9175 स्के.फीट लगभग दसवी और ग्यारहवीं मंजिल पर, प्लॉट नं.20, टॉवर/बिल्डिंग-1, "डीएलएफ मैग्नोलिअस" से पहचाने जाने वाले ग्रुप हाउसिंग कॉम्पलेक्स में, डीएलएफ गोल्फ लिंक्स फेज़– V में स्थित, गुरुग्राम-122021, हरियाणा कार पार्किंग जगह नं.PB1 017, PB1 018, PB1 019 AND PB1 020 जो निम्नुंसार परिबद्ध है:

पूर्व :टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम :टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण :टाइटल डीड के अनुसार**

दिनांक :11.06.2021
स्थान : गुरुग्राम

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

परिशिष्ट IV
देखें नियम 8(1)
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड (आईसीसीएल) (CIN:U65923DL2006PLC150632) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, **2002** के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धारा **13(12)** के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **सुनील घोरावत, संजय धमीजा और शिवानी घोरावत** को **25.03.2021** की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं.**HLLANOI00477910** की राशि रू.**1,37,38,506.61/- (रुपए एक करोड़ सैंतीस लाख अड़तीस हजार पाँच सौ छे और इकसठ पैसे मात्र)** और **25.03.2021** के अनुसार के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट **60** दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधो हस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा **13** की उप धारा **4** के साथ उक्त कानून के नियम **8** के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, **2002** के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **11.06.2021** को संपत्ति पर **सांकेतिक आधिपत्य कर** लिया है।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा **राशी रू.1,37,38,506.61/- (रुपए एक करोड़ सैंतीस लाख अड़तीस हजार पाँच सौ छे और इकसठ पैसे मात्र)**और **25.03.2021** के अनुसार उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड** के आधीन होगा.

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपति / संपतियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति नं.1

दुकान नं.001 जिसका सुपर एरिया 505 स्के.फीट.तल मंजिल पर , "बेस्टेक चेंबर्स ", से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट में, बी -ब्लॉक, सुशांत लोक, फेज़– I, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, जो निम्नुंसार परिबद्ध है:

पूर्व :टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम :टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण :टाइटल डीड के अनुसार**

संपत्ति नं.2

दुकान नं.002 जिसका सुपर एरिया 505 स्के.फीट.तल मंजिल पर , "बेस्टेक चेंबर्स ", से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट में, बी -ब्लॉक, सुशांत लोक, फेज़– I, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, जो निम्नुंसार परिबद्ध है:

पूर्व :टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम :टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण :टाइटल डीड के अनुसार**

संपत्ति नं.3

दुकान नं.035 जिसका सुपर एरिया 370 स्के.फीट.तल मंजिल पर , "बेस्टेक चेंबर्स ", से पहचाने जाने वाले प्रोजेक्ट में, बी -ब्लॉक, सुशांत लोक, फेज़– I, गुरुग्राम-122002, हरियाणा, जो निम्नुंसार परिबद्ध है:

पूर्व :टाइटल डीड के अनुसार **पश्चिम :टाइटल डीड के अनुसार**
उत्तर : टाइटल डीड के अनुसार **दक्षिण :टाइटल डीड के अनुसार**

सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड

दिनांक :11.06.2021
स्थान : गुरुग्राम

कब्जा सूचना

सरफेसी अधिनियम की परिशिष्ट IV [नियम 8(1)]
(अचल सम्पत्ति हेतु)

चूंकि, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों के प्रयोग के तहत दिनांक 09.04.2021 को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कर्जदार श्री संजीव भार्गव, श्रीमती तारा भार्गव तथा मैसर्स तारा लिंक्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड तथा संजीव भार्गव (एचयूएफ) अपने कर्त्ता के जरिए कार्यरत गृह ऋण खाता संख्या 44009682 को इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम रु. 48,86,636.74 (रुपये अड़तालीस लाख छियासी हजार छह सौ छत्तीस एवं पैसे चौहत्तर मात्र) चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदारों द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा वर्ष 2021 के 14 जून को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया गया है।

कर्जदारों का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा रु. 49,79,697.94 तथा उस पर ब्याज की राशि के लिए स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रभार का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण:-

निम्नलिखित सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा:
भूमि सं. 14 के प्लॉट पर, ग्रुप 'ई' में, श्रेणी-11, स्वतंत्र को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, कालिंदी कॉलोनी, नई दिल्ली के प्लान में निर्मित सम्पूर्ण दूसरी मंजिल साथ में एक विशेष कार पार्किंग तथा दूसरी मंजिल की छत पर एक सर्वेंट क्वार्टर साथ में दूसरी मंजिल के ऊपर छत का अधिकार, क्षेत्र का परिमाप 400 वर्ग यार्ड

दिनांक : 14.06.2021
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता/-
अधिकृत अधिकारी
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक

कब्जा सूचना - (अचल सम्पत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूंकि, आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनैंस लि.) (आईआईएचएफएल) के नाम से ज्ञात) प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को इस सूचना के जारी किए जाने की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने के लिए मांग सूचना जारी की गई थी। कर्जदार द्वारा उक्त रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमो के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा यहां उल्लेखित रकम साथ में उस पर ब्याज की राशि के लिए आईआईएचएफएल के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है कि कर्जदार द्वारा अगर बिक्री अथवा हस्तांतरण की निर्धारित तारीख से पहले किसी भी समय आईआईएचएफएल की बकाया रकम साथ में सभी लागत, शुल्कों तथा किए गए व्यय की राशि चुकता कर दिया जाता है, तो आईआईएचएफएल द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तियों की बिक्री अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा तथा आईआईएचएफएल द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तियों के हस्तांतरण तथा बिक्री के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

कर्जदार का नाम दिल्ली, आगरा शाखा	प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया रकम (रु.)	मांग सूचना की तारीख	कब्जा सूचना की तारीख
श्री चंदन कुमार, श्री गुंजन कुमार एवं श्रीमती प्रीति जयसवाल (प्रॉस्पेक्ट नं. **837197**)	सम्पत्ति **प्लॉट सं. ई-3, दूसरी मंजिल, खसरा नं.-17/8, जीवन पार्क, उत्तम नगर, दिल्ली, 110059, दिल्ली, भारत** का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।	रु. 35,59,815/-	15-फरवरी-2020	11-जून-2021
श्री नरेश, श्री कुसमा (प्रॉस्पेक्ट नं. **859314**)	**राधा कृष्ण धाम, मौजा सिकंदरा बहिस्ताबाद, आगरा, पिन कोडः 282007, उत्तर प्रदेश में स्थित खसरा नं. 156 160 165 166 180 पर निर्मित मकान** का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।	रु. 9,55,890/-	02-मार्च-2021	11-जून-2021
श्री अधिनेश कुमार, श्रीमती स्नेहलता (प्रॉस्पेक्ट नं.आईएल10079803)	**सम्पत्ति सं. एलआईसी मकान नं. बी-433, परिमाप 858 वर्ग फीट यानी 79.71 वर्ग मीटर, शास्त्री पुरम, सेक्टर बी आगरा, उत्तर प्रदेश भारत 282007 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा।**	रु. 31,75,051/-	16-फरवरी-2021	11-जून-2021

और अधिक विवरण के लिए कृपया शाखा कार्यालयः ए-1सी एवं ए-1डी, दूसरी मंजिल, नोएडा सेक्टर-16, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201301/अथवा शाखा कार्यालयः यूनिट नं. 309, तीसरी मंजिल, पदम बिजनेस पार्क, प्लॉट नं. आईएनएस-1, सेक्टर 12ए, अवास विकास, सिकंदरा योजना, आगरा, 282007/अथवा **कॉरपोरेट कार्यालयः** प्लॉट नं. 98, चरण-IV, उद्योग विहार, गुड़गाँव, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

स्थान : दिल्ली, आगरा तारीखः 16-06-2021 **हस्ता/- अधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल)**

मुथूट हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

muthoot HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालयः टीसी नं. 14/2074–7, मुथूट सेन्टर, पुन्नेन रोड, थिरूवंतपुरम–695034, सीआईएन नं.– U65922KL2010PLC025624, **कारपोरेट कार्यालयः 12/ए 01, 13वाँ तल, परिनी क्रिसेन्जो, प्लाट नं. सी38 एवं सी39, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स–जी ब्लॉक (ईस्ट), मुंबई–400051 फोनः 022–62728517**

परिशिष्ट–IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि मेसर्स मुथूट हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 (2002 का अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर एक मांग सूचना निम्नलिखित कर्जदार/ओं/जमानती/ओं को जारी की। उक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिनों की समाप्ति के बाद कर्जदार/ओं/जमानती/ओं द्वारा राशि चुकता करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार/ओं/जमानती/ओं और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त आर्डिनेन्स की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है।

क्र. सं.	कर्जदार/सह–कर्जदार/ जमानती का नाम	मांग सूचना की तारीख	कुल बकाया राशि	प्रत्याभूत परिसंपत्ति(ओं)/ अचल संपत्ति(ओं) का विवरण	कब्जे की तारीख
1.	अनिल गोविंद राम शर्मा बिपिन अनिल एलएएन नं.:– 13100071679	27.03.2021	1119928.52	फ्लैट नं. 401, 4वाँ तल, प्लॉट नं. सी 16, कलवर रोड, रॉयल सिटी, राजस्थान, जयपुर–302012, भारत	10.06.2021
2.	मुकेश मुंद्रिका सिंह मनीता देवी मुंद्रिका सिंह एलएएन नं.:– 13100074443	27.03.2021	1042214.79	98, भैरव नगर, खोड़ा बिसल, बेनार रोड, राजस्थान, जयपुर–302013, भारत	10.06.2021
3.	रवि नवल किशोर वर्मा किरन रवि वर्मा एलएएन नं.:– 13100074725	27.03.2021	1290976.36	ए ब्लॉक, 24, ग्रीन सिटी 4, सरना दूनगर, बैनाड रोड, राजस्थान, जयपुर–302012, भारत	10.06.2021
4.	मुकेश मुंद्रिका सिंह मुंद्रिका मिताराज सिंह एलएएन नं.:– 13100081594	27.03.2021	83339.1749	प्लॉट नं. 98, भैरव नगर, बेनार रोड, जयपुर, राजस्थान, जयपुर–302012, भारत	10.06.2021
5.	रिंकू किशन लाल कुमावत शकुंतला देवी किशन लाल एलएएन नं.:– 13100074849	24.03.2021	801951.8	प्लॉट नं. 24ए, शिवपुरी स्कीम, खाटीपुरा रोड, झोटवाड़ा जयपुर, राजस्थान, जयपुर–302012, भारत	10.06.2021
6.	राम सिंह माली राम सैनी पार्थ राम सिंह कटारिया एलएएन नं.:– 13100081893	24.03.2021	1545863.39	प्लॉट नं. 13 व 14, लवकुश नगर–ii, टौंक रोड, राजस्थान, जयपुर–302012, भारत	10.06.2021
7.	रिंकू किशन लाल कुमावत शकुंतला देवी किशन लाल एलएएन नं.:– 13100075150	27.03.2021	763,957.74	प्लॉट नं. 24ए, प्लॉट नं. 24ए, शिवपुरी स्कीम, खाटीपुरा रोड, जयपुर, राजस्थान, जयपुर–302012, भारत	10.06.2021
8.	श्याम लाल अमृत लाल सोनी डॉली सीता राम सोनी 11167091202	27.03.2021	2510537.96	पट्टा 7741, मिसल 41 04 05, सरदार मार्केट, गाँव रोहाट पापली, राजस्थान, पाली–306421, भारत	10.06.2021

विशेष रूप से कर्जदार/ओं/जमानती/ओं और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन उपरोक्त मांग राशि और इस पर आगे की ब्याज के लिए मेसर्स मुथूट हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : राजस्थान
दिनांकः 15 जून, 2021

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
हिते मुथूट हाऊसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

एसपीएल इंडस्ट्रीज लि.

पंजी. कार्या : 202, दूसरी मंजिल, विक्रमादित्य टॉवर, अलकनंदा मार्किट,कालकाजी, नई दिल्ली–110019
Email : cs@spllimited.com CIN: L74899DL1991PLC062744

प्रबंधक सूचीबद्ध विभाग, एनएसई/बीएसई

31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए स्टैंडलोन वित्तीय परिणामों का सार

(आंकड़े लाख रु. में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.03.2021	समाप्त तिमाही 31.12.2020	समाप्त तिमाही 31.03.2020	समाप्त वर्ष 31.03.2021	समाप्त वर्ष 31.03.2020
	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित	अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2,798.60	2,773.17	3,776.75	11,575.17	18,682.77
साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असानान्य मदों से पहले)	331.26	451.67	631.24	1,794.36	3,026.97
साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	331.26	451.67	631.24	1,794.36	3,026.97
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	267.90	343.27	731.51	1,355.19	3,127.25
कुल समग्र आय (लाभ/हानि सहित) कर के बाद और कर के बाद कुल समग्र आय)	268.46	343.27	731.51	1,355.76	3,129.55
इक्विटी शेयर पूंजी	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
आरक्षित (पूर्व वर्ष के लेखा तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित मूल्यांकन को छोड़कर)	–	–	–	–	–
अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मद से पहले) (रु. 10/- प्रत्येक)					
बेसिक	1.14	1.56	2.18	6.19	10.44
डायल्यूटिड	1.14	1.56	2.18	6.19	10.44
अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मद के बाद) (रु. 10/- प्रत्येक)					
बेसिक	0.92	1.18	2.52	4.67	10.78
डायल्यूटिड	0.92	1.18	2.52	4.67	10.78

नोट :

1. उक्त वित्तीय परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 15 जून, 2021 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही वर्ष के लिए इन परिणामों का वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षण किया गया है।
2. यह विवरण कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित कंपनीज (भारतीय लेखा मानक), नियमावली, 2015 (इंड एएस) और लागू विस्तारिता के लिए अन्य मान्यताप्राप्त लेखा कार्यों व नीतियों के अनुपालन में तैयार किया गया है। कंपनी ने 01 अप्रैल, 2017 से इंड–एएस को अपनाया है
3. निदेशक मंडल की बैठक निर्धारित समय पर 15 जून, 2021 को आयोजित की गई थी और उक्त परिणाम अनुमोदित किए गए थे।
4. इंड एएस 108 "प्रचालन खंड" के अनुसार, कंपनी ने स्टैंडलोन वित्तीय परिणामों की पार्टी के रूप में केवल खंड सूचना का प्रकटीकरण किया है।
5. 1, अप्रैल, 2018 से प्रभावी, कंपनी ने ग्राहकों के साथ अनुबंधों से इंड–एएस 115–आय को अपनाया है। इंड एएस 115 को अपनाने का प्रभाव वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण नहीं है।
6. 1, अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंड–एएस 116–लीज को अपनाया है। इंड एएस 116 को अपनाने का प्रभाव वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण नहीं है।
7. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।
8. पूर्व वर्ष/अवधि आकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्निर्मित/पुनसमूहित/पुनवर्गीकृत किया गया है।

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 15 जून, 2021

हस्ता. /–
मुकेश कुमार अग्रवाल
(प्रबंधक निदशक)

कोटक महिन्द्रा बैंक लि.

कॉर्पोरेट पहचान सं. L65110MH1985PLC038137), www.kotak.com
पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स,
बांद्रा (पू.), मुम्बई–400 051. शाखा कार्यालय : 1/11, प्रथम तल, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी सह बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से निम्नलिखित कर्जदार(रों), जमानती(यों) तथा/अथवा बंधककर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (''प्रतिभूत लेनदार'') के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिस पर प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने कब्जा कर लिया है, कर्जदार/रों नामतः 1. मैसर्स बालाजी सप्लाइज (सुश्री मंजू मित्तल की एक प्रोपराइटरशिप कंसर्न) (''कर्जदार'') तथा 2. श्री अतुल मित्तल (''जमानती/ बंधककर्ता'') तथा 3. मैसर्स डिलाइट टेक्सफैब प्रा.लि. इसके निदेशकों पीयूष गोयल तथा दिव्याशु गोयल (''जमानती/ बंधककर्ता'') से प्रतिभूत लेनदार होने के नाते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के 30 नवम्बर, 2017 तक बकाया रु. 4,00,81,408/– (रुपये चार करोड़ इक्यासी लाख चार सौ आठ मात्र) तथा भुगतान/वसूली की तिथि तक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना पर अनुबन्धात्मक दर से उस पर भावी ब्याज एवं अन्य प्रभारों की वसूली हेतु ई–नीलामी के माध्यम से ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर दिनांक 02.07.2021 को बिक्री की जायेगी। नीलामी हेतु रखी अचल सम्पत्तियों का विवरण/वर्णन, आरक्षित मूल्य, जमा धरोहर राशि तथा नीलामी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	बंधककर्ता/ओं के नाम	ई–नीलामी पर रखी अचल सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु.)	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु.
लॉट I	मैसर्स डिलाइट टेक्सफैब प्रा.लि. इसके निदेशकों पीयूष गोयल एवं दिव्याशु गोयल के माध्यम से	करोलबाग, नई दिल्ली अथवा इसके आसपास के पश्चिमी विस्तार क्षेत्र में स्थित खसरा नं. 5116/2616 में माप क्षेत्रफल 224 वर्ग गज क्षेत्रफल के ब्लॉक सं. 4 में प्लॉट सं. 32 पर निर्मित निगम सं. 10687(4/32), वार्ड सं. XVI की भूमि एवं भवन की सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग तथा उससे सम्बन्धित समस्त ईजमेंट एवं एपर्टिनेंस सहति उस पर भवन एवं संरचना, तथा सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : प्लॉट सं. 67, पश्चिम : प्लॉट सं. 31, उत्तर : सड़क दक्षिण : सर्विस लेन	रु. 8,28,20,000/– (रुपये आठ करोड़ अट्ठाईस लाख बीस हजार मात्र)	रु. 82,82,000/– (रुपये बयासी लाख बयासी हजार मात्र)
लॉट II	मैसर्स डिलाइट टेक्सफैब प्रा.लि. इसके निदेशकों पीयूष गोयल एवं दिव्याशु गोयल के माध्यम से	करोलबाग, नई दिल्ली अथवा इसके आसपास के पश्चिमी विस्तार क्षेत्र में स्थित खसरा नं. 5116/2616 में माप क्षेत्रफल 224 वर्ग गज क्षेत्रफल के ब्लॉक सं. 4 में प्लॉट सं. 32 पर निर्मित निगम सं. 10687(4/32) , वार्ड सं. XVI पर स्थित छत के अधिकार रहित सम्पूर्ण बेसमेंट तथा उस भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित, कॉमन एरिया, सुविधाएं एवं भूमि से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़े समस्त भवन, स्ट्रक्चर, इंस्टालेशन, फिटमेंट, यदि कोई हो, एवं उसके ईजमेंट तथा एपर्टिनेंस के समस्त अधिकार सहित, तथा सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : प्लॉट सं. 67, पश्चिम : प्लॉट सं. 31, उत्तर : सड़क दक्षिण : सर्विस लेन	रु. 83,00,000/– (रुपये तिरासी लाख मात्र)	रु. 8,30,000/– (रुपये आठ लाख तीस हजार मात्र)
लॉट III	मैसर्स डिलाइट टेक्सफैब प्रा.लि. इसके निदेशकों पीयूष गोयल एवं दिव्याशु गोयल के माध्यम से	करोलबाग, नई दिल्ली अथवा इसके आसपास के पश्चिमी विस्तार क्षेत्र में स्थित खसरा नं. 5116/2616 में माप क्षेत्रफल 224 वर्ग गज क्षेत्रफल के ब्लॉक सं. 4 में प्लॉट सं. 32 पर निर्मित निगम सं. 10687(4/32) , वार्ड सं. XVI पर स्थित छत के अधिकार रहित सम्पूर्ण भूतल तथा उस भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित, कॉमन एरिया, सुविधाएं एवं भूमि से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़े समस्त भवन, स्ट्रक्वर, इंस्टालेशन, फिटमेंट, यदि कोई हो, एवं उसके ईजमेंट तथा एपर्टिनेंस के समस्त अधिकार सहित, तथा सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : प्लॉट सं. 67, पश्चिम : प्लॉट सं. 31, उत्तर : सड़क दक्षिण : सर्विस लेन	रु. 2,49,50,000/– (रुपये दो करोड़ उनचास लाख पचास हजार मात्र)	रु. 24,95,000/– (रुपये चौबीस लाख पिचानबे हजार मात्र)
लॉट IV	मैसर्स डिलाइट टेक्सफैब प्रा.लि. इसके निदेशकों पीयूष गोयल एवं दिव्याशु गोयल के माध्यम से	करोलबाग, नई दिल्ली अथवा इसके आसपास के पश्चिमी विस्तार क्षेत्र में स्थित खसरा नं. 5116/2616 में माप क्षेत्रफल 224 वर्ग गज क्षेत्रफल के ब्लॉक सं. 4 में प्लॉट सं. 32 पर निर्मित निगम सं. 10687(4/32) , वार्ड सं. XVI पर स्थित छत के अधिकार रहित सम्पूर्ण प्रथम तल तथा उस भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित, कॉमन एरिया, सुविधाएं एवं भूमि से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़े समस्त भवन, स्ट्रक्वर, इंस्टालेशन, फिटमेंट, यदि कोई हो, एवं उसके ईजमेंट तथा एपर्टिनेंस के समस्त अधिकार सहित, तथा सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : प्लॉट सं. 67, पश्चिम : प्लॉट सं. 31, उत्तर : सड़क दक्षिण : सर्विस लेन	रु. 1,83,73,000/– (रुपये एक करोड़ तिरासी लाख तिहत्तर हजार मात्र)	रु. 18,37,000/– (रुपये अठारह लाख सैंतीस हजार मात्र)
लॉट V	मैसर्स डिलाइट टेक्सफैब प्रा.लि. इसके निदेशकों पीयूष गोयल एवं दिव्याशु गोयल के माध्यम से	करोलबाग, नई दिल्ली अथवा इसके आसपास के पश्चिमी विस्तार क्षेत्र में स्थित खसरा नं. 5116/2616 में माप क्षेत्रफल 224 वर्ग गज क्षेत्रफल के ब्लॉक सं. 4 में प्लॉट सं. 32 पर निर्मित निगम सं. 10687(4/32) , वार्ड सं. XVI पर स्थित छत के अधिकार रहित सम्पूर्ण द्वितीय तल तथा उस भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित, कॉमन एरिया, सुविधाएं एवं भूमि से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़े समस्त भवन, स्ट्रक्वर, इंस्टालेशन, फिटमेंट, यदि कोई हो, एवं उसके ईजमेंट तथा एपर्टिनेंस के समस्त अधिकार सहित, तथा सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : प्लॉट सं. 67, पश्चिम : प्लॉट सं. 31, उत्तर : सड़क दक्षिण : सर्विस लेन	रु. 1,83,73,000/– (रुपये एक करोड़ तिरासी लाख तिहत्तर हजार मात्र)	रु. 18,37,000/– (रुपये अठारह लाख सैंतीस हजार मात्र)
लॉट VI	मैसर्स डिलाइट टेक्सफैब प्रा.लि. इसके निदेशकों पीयूष गोयल एवं दिव्याशु गोयल के माध्यम से	करोलबाग, नई दिल्ली अथवा इसके आसपास के पश्चिमी विस्तार क्षेत्र में स्थित खसरा नं. 5116/2616 में माप क्षेत्रफल 224 वर्ग गज क्षेत्रफल के ब्लॉक सं. 4 में प्लॉट सं. 32 पर निर्मित निगम सं. 10687(4/32) , वार्ड सं. XVI पर स्थित छत के अधिकार रहित सम्पूर्ण तृतीय तल तथा उस भूमि के अविभाजित आनुपातिक हिस्से सहित, कॉमन एरिया, सुविधाएं एवं भूमि से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़े समस्त भवन, स्ट्रक्वर, इंस्टालेशन, फिटमेंट, यदि कोई हो, एवं उसके ईजमेंट** तथा एपर्टिनेंस के समस्त अधिकार सहित, तथा सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : प्लॉट सं. 67, पश्चिम : प्लॉट सं. 31, उत्तर : सड़क दक्षिण : सर्विस लेन	रु. 1,28,24,000/– (रुपये एक करोड़ अट्ठाईस लाख चौबीस हजार मात्र)	रु. 12,82,400/– (रुपये बारह लाख बयासी हजार चार सौ मात्र)

अधोहस्ताक्षरी अपने पूर्ण विशेषाधिकार तथा सम्भावित क्रेताओं से प्राप्त निवेदन पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट के माध्यम से उपर्युक्त सम्पत्ति के निरीक्षण की व्यवस्था 25.06.2021 को 12:00 बजे अप. से 03:00 बजे अप. तक की जायेगी।

महत्त्वपूर्ण नियम एवं शर्तें:–

1. ई–नीलामी केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से 02.07.2021 को संचालित की जायेगी। ई–नीलामी सभी लॉटों अर्थात लॉट–I, लॉट–II, लॉट–III, लॉट–IV, लॉट–V एवं लॉट–VI हेतु 11.00 बजे पूर्वा. से 12.00 बजे दोपहर तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित संचालित की जाएगी। संविदाकारों को लॉट–I, लॉट–II, लॉट–III, लॉट–IV, लॉट–V तथा लॉट VI के रूप में श्रेणियों के लिए 6 विकल्प होंगे जिसमें लॉट–I अन्य लॉटों अर्थात लॉट–II से लॉट–VI पर वरीय होगा, जिसका अर्थ है कि यदि कोई संविदा लॉट–I के आरक्षित मूल्य से अधिक या बराबर प्राप्त होती है तो केवल उस स्थिति को छोड़कर जब लॉट–II, लॉट–III, लॉट–IV, लॉट–V तथा लॉट–VI के तहत सफल संविदाएं जोड़ने से प्राप्त कुल संविदा राशि लॉट–I हेतु प्राप्त संविदा से अधिक हो, अन्य लॉटों अर्थात लॉट–II, लॉट–III, लॉट–IV, लॉट–V तथा लॉट–VI हेतु सभी संविदाएं निरस्त होंगी और इन्हें शून्य मान लिया जायेगा।
2. ई–नीलामी के विवरण हेतु इच्छुक संविदाकार सम्पर्क करें : मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बी–704–5, वॉल स्ट्रीट–II, सामने ओरिएन्ट क्लब, निकट गुजरात कॉलेज रोड, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद, सम्पर्क व्यक्ति राम शर्मा–06351896834, ई–मेल : delhi@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, हेल्पलाइन नं. 079–61200595/520/548. हेल्पलाइन ई–मेल : support@auctiontiger.net.
3. इच्छुक संविदाकार नीलामी विवरण तथा बिक्री के नियम एवं शर्तों हेतु बैंक की वेबसाइट : https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देख सकते हैं।
4. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए संविदाकारों को पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net देखने की सलाह दी जाती है तथा कथित नियम एवं शर्तें संविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले संविदाकारों के लिए बाध्यकारी होंगी।
5. यह निवेदन है कि इच्छुक संविदाकारों को संविदा तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net से लॉगिन आईडी सृजित करना अनिवार्य है।

   संविदाएँ 01.07.2021 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर संविदाकार/रों के केवाईसी दस्तावेजों सहित केवल निर्धारित प्रारूप में जमा/अपलोड की जानी है तथा विधिवत भरे हुए एवं हस्ताक्षरित संविदा दस्तावेज की स्कैन्ड प्रतियाँ एवं संविदाकार/रों की केवाईसी मेल द्वारा gs.pandey@kotak.com तथा batesh.thakur@kotak.com पर भेजी जानी हैं। संविदाकार ई–मेल के विषय खण्ड में ''मैसर्स बालाजी सप्लायर्स (सुश्री मंजू मित्तल की प्रोपराइटरशिप कंसर्न) के खाते में सम्पत्ति की खरीद हेतु'' तथा जिस लॉट के लिए संविदा प्रस्तुत की गयी है उसका स्पष्ट उल्लेख करेंगे।
6. सम्भावित संविदाकार लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने तथा ऑनलाइन संविदा प्रक्रिया आदि के लिए मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) से उपर्युक्त सम्पर्क नम्बरों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
7. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) 01.07.2021 को 4.00 बजे अप. तक या इससे पूर्व खाता सं. 06410125272001, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, नरीमन प्वाइंट शाखा, मुम्बई, आईएफएससी कोड : KKBK0000958 में आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जानी है। ईएमडी राशि जमा किये बिना कोई संविदा स्वतः ही अस्वीकृत हो जायेगी। प्रस्तावित संविदाकार द्वारा जमा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
8. जमा की गयी संविदा राशि आरक्षित मूल्य के बराबर/या अधिक होगी और संविदा प्रक्रिया के दौरान जिन्होंने संविदाएँ जमा कर दी हैं वे (1) लॉट कके लिए रु. 2,00,000/– (रुपये दो लाख मात्र) के तथा क्रमशः लॉट–II, III, IV, V एवं VI के लिए रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ायेंगे।
9. यदि संविदा ई–नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में रखी जाती है तो बन्द होने का समय उपर्युक्त सम्बन्धित लॉट के टाइमलाइन हेतु स्वतः ही तुरन्त अगले 5 मिनट के लिए बढ़ जायेगा।
10. सफल संविदाकार को ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही बन्द होने के तुरन्त बाद ई–नीलामी की तिथि पर कार्यालयी घण्टे बन्द होने पर अगले कार्यकारी दिवस पर उपर्युक्त माध्यम से उच्चतम बोली राशि (पहले से प्रदत्त ईएमडी सहित) का 25% जमा करना होगा। उच्चतम संविदा राशि का शेष 75% सफल संविदाकार को बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि प्रदान करने की तिथि के 15 दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक द्वारा ऐसे विस्तारित अवधि तक जो सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के भीतर हो, जमा करनी होगी।
11. उच्चतम बोलीदाता को अपने पक्ष में बिक्री प्रमाणपत्र निर्गत होने तक सम्पत्ति पर कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं होगा जो सम्पूर्ण नीलामी राशि एवं अन्य आकस्मिक व्ययों की वसूली के अध्यधीन होगा। बिक्री उस प्रभाव तक ई–नीलामी की शर्तों एवं नियमों तथा प्रतिभूत लेनदार की पुष्टि के अध्यधीन होगी।
12. यदि सफल संविदाकार सम्पूर्ण संविदा/नीलामी राशि जमा करने में असफल रहता है तो सफल संविदाकार द्वारा पहले से जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और चूककर्ता संविदाकार का न तो सम्पत्ति और न ही जमा की गयी राशि पर कोई दावा होगा। अधिकृत प्राधिकारी को नीलामी की सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य में सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित नियम, 2002 के प्रावधानों के नियम एवं शर्तों के तहत उसे उपलब्ध एक या एक से अधिकारों का उपयोग करने की स्वतन्त्रता है।
13. उपर्युक्त निर्धारित अवधि के भीतर सम्पूर्ण बिक्री राशि की प्राप्ति पर अधिकृत प्राधिकारी विक्रय प्रमाणपत्र निर्गत करेंगे, इसके पश्चात बिक्री पूरी हो जायेगी और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड किसी दावे को स्वीकार नहीं करेगा।
14. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम से जारी किया जायेगा जिस नाम से संविदा जमा की गयी है। संविदा में उल्लिखित व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम बिक्री प्रमाणपत्र में समाविष्ट/प्रतिस्थापित करने हेतु कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. संचालित नीलामी हेतु विक्रय प्रमाणपत्र सफल संविदाकार/संविदाकार(रों) को प्रदान किया जायेगा। यह ध्यान दें कि किसी भी स्थिति में मॉर्टगेज चार्ज सृजित करते समय बैंक के पास जमा मूल स्वामित्व विलेख क्रेता को नहीं दिये जायेंगे, हालांकि, उच्चतर संविदाकारों अर्थात क्रेता/ओं को बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व/सम्पत्ति के दस्तावेजों की नोटरी प्रमाणित/सत्यापित प्रति प्रदान की जायेगी और बैंक के अधिकृत प्राधिकारी सम्पूर्ण सम्पत्ति के मूल स्वामित्व विलेख कथित स्वामित्व दस्तावेज के कस्टोडियन के रूप में अपने पास रखेंगे। यह विशेष ध्यान देने योग्य है कि सम्बन्धित लॉट–II, III, IV, V तथा VI हेतु उच्चतम संविदाकार स्टेयरकेस सहित कॉमन यूज तथा कॉमन सुविधाओं पर सम्पूर्ण स्वामित्व, अधिकार, टाइटल, हित का दावा नहीं कर सकते हैं और उन्हें भूमि, कॉमन एरिया, सुविधाओं तथा समस्त भवनों, संरचनाओं, स्थापनों, फिटमेंट, यदि कोई हो जो सम्पूर्ण सम्पत्ति की धरती से जुड़ा हो या धरती से स्थायी रूप से जुड़ी वस्तु से जुड़ा हो, के अविभाजित आनुपातिक हिस्से प्राप्त होंगे।
16. असफल संविदाकार/रों की ईएमडी राशि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के माध्यम से उनके खातों में बिना किसी ब्याज के 10 (दस) दिनों के भीतर वापस कर दी जायेगी।
17. अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी संविदा का स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा अधिसूचित नीलामी बिक्री को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार है। संविदा जमा करने के बाद ई–नीलामी बिक्री के स्थगन/निरस्तीकरण की स्थिति में, संविदाकारों द्वारा जमा की गयी ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी और संविदा अस्वीकार करने की स्थिति में अधिकृत प्राधिकारी किसी भी संविदाकार या अन्य पक्षों से निजी संधि द्वारा सम्पत्ति की बिक्री हेतु मोल–भाव कर सकते हैं।
18. यदि नीलामी के तहत कोई संविदाकार 1 से अधिक सम्पत्ति की बोली लगाने का इच्छुक है तो संविदाकार को उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुपालन करके प्रत्येक सम्पत्ति हेतु अलग से संविदाएँ जमा करनी होंगी।
19. यहाँ ऊपर निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार के सर्वोत्तम जानकारी पर कहे गये हैं किन्तु अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी अथवा विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आमन्त्रण संभावित संविदाकारों को आमन्त्रित करने के उद्देश्य से है और नीलामी को सम्पन्न करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी या कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड की ओर से कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं सृजित करते हैं। अधिकृत प्राधिकारी को प्रक्रिया को निरस्त करने या संशोधित करने तथा/अथवा बिना कोई कारण बताए एवं बिना किसी दायित्व के किसी इच्छुक पार्टी/संभावित निवेशक/संविदाकार को स्वीकार न करने तथा/अथवा डिस्क्वालिफाई करने का अधिकार है।
20. बैंक के संज्ञान में माननीय ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली के समक्ष 2019 के प्रतिभूतिकरण आवेदन (एस.ए.) सं. 269 तथा 2019 के (एस.ए.) एनडीएन2072 तथा माननीय डीआरएटी, दिल्ली के समक्ष 2020 की मिश्रित अपील सं. 26 की पेंडेंसी को छोड़कर किसी अन्य ऋणभार के विषय में जानकारी नहीं है। पुनः बंधककर्ता द्वारा वैध तथा सबसिस्ट मार्टगेज के दौरान बंधक सम्पत्ति पर थर्ड पार्टी अधिकार सृजित किये गये हैं और बैंक ने पुलिस स्टेशन करोल बाग के समक्ष डायरी सं. 70 दिनांक 15.05.2019 के माध्यम से आपराधिक शिकायत दर्ज कर अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाये हैं और यह सम्बन्धित प्राधिकरण के साथ जांच की अवस्था में लम्बित है। इच्छुक संविदाकारों को स्थानीय प्राधिकरणों के बकायों जैसे निगम कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली तथा पानी के प्रभार एवं अन्य बकाये या कर सहित अन्तरण प्रभार/शुल्क के सम्बन्ध में स्वतन्त्र पूछताछ कर लेने का परामर्श दिया जाता है। बैंक के अधिकृत प्राधिकारी नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, लिएन, ऋण भार अथवा सरकार या किसी अन्य के बकाये के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इच्छुक संविदाकारों को सम्पत्ति के दायित्व, एरियर, बिजली के बकाये आदि सहित सम्पत्ति के ऋण भार से सम्बन्धित अपनी स्वतन्त्र पूछताछ करने का परामर्श दिया जाता है।
21. पंजीकरण प्रभार, स्टैम्प शुल्क, कर आदि सहित सभी विधिक बकाये/अन्य बकाये क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
22. वर्तमान सूचना के तहत नीलामी–सह–बिक्री पर रखी सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में अन्तरण प्रभार/शुल्क सहित सभी बाह्य प्रभार जैसे निगम कर, रखरखाव/सोसाइटी प्रभार, बिजली एवं पानी के प्रभार तथा अन्य बकाये केवल सफल संविदाकार/क्रेता द्वारा वहन किये जायेंगे।
23. सभी अन्य आकस्मिक प्रभार (वर्तमान नीलामी के तहत सम्पत्ति के संरक्षण हेतु प्रतिभूत प्रभार अथवा रखरखाव प्रभार सहित किन्तु सीमित नहीं) बिक्री प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से एकमात्र उच्चतम संविदाकार द्वारा वहन किये जायेंगे, जिसे बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण से पूर्व बैंक को निस्तारित/प्रतिपूर्तित करना होगा। हालाँकि अधिकृत प्राधिकारी के एकमात्र विवेक से भविष्य में बिना किसी अनुगामी समायोजन के तर्कपूर्ण एवं उपयुक्त विलम्ब में छूट दी जा सकती है।
24. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194–ए के अनुसार यदि बिक्री वसूली रु. 50,00,000.00 (रुपये पचास लाख मात्र) या इससे अधिक की है तो इस पर टीडीएस प्रयोज्य होगा। सफल संविदाकार/क्रेता कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में बिक्री मूल्य से प्रयोज्य टीडीएस घटायेगा और इसे आयकर विभाग के पास जमा करेगा और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पास टीडीएस जमा करने के प्रमाण का चालन तथा प्रपत्र 26क्यूबी/टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा।
25. यह नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। नीलामी के सभी नियम एवं शर्तें https://kotakbank.auctiontiger.net पर उपलब्ध विस्तृत दस्तावेज में उल्लिखित हैं।
26. किन्तु अधिकृत प्राधिकारी को नियम एवं शर्तों में किसी को भी परिवर्तित करने का पूर्ण विशेषाधिकार होगा। संविदाकारों को सम्बन्धित सम्पत्ति के विषय में किसी ऋणभार, उपरजिस्ट्रार कार्यालय तथा राजस्व रिकार्ड एवं निगम रिकार्ड तथा अन्य प्रशासनिक सरकारी रिकार्ड की खोजबीन करने की सलाह दी जाती है और वे संविदा जमा करने से पूर्व सम्पत्ति की प्रकृति तथा विवरण, दशा, किसी ऋणभार, लिएन, प्रभार, विधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लें। कृपया ध्यान दें कि नीलामी के तहत सम्पत्ति/यों/आस्तियों के फिटनेस/स्वामित्व के सम्बन्ध में बैंक/अधिकृत प्राधिकारी/प्रतिभूत लेनदार कोई गारंटी या कोई प्रतिनिधान नहीं देते हैं। बिक्री/नीलामी दृढ़ता से एवं उपचार रहित आधार पर होगी।
27. बैंक द्वारा समस्त लागतों, प्रभारों तथा उन पर या उसके अंश पर जो बैंक को स्वीकार्य हो, किये गये व्ययों सहित बकाये विक्रय हेतु निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व किसी भी समय कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा/उनकी ओर से अदा कर दी जाती है तो आस्ति की नीलामी/बिक्री निरस्त की जा सकती है। अधिकृत प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए यदि अस्वीकार्य प्रतीत हो तो किसी संविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार्य होने पर समस्त संविदाओं को अस्वीकार करने, विलम्बित/निरस्त/स्थगित/अनिरन्तर करने अथवा किसी भी समय नीलामी की शर्तों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार है और इस सम्बन्ध में उसका निर्णय अन्तिम होगा।
28. लम्बित विधिक मुकदमों/जारी अभियोगों/बेदखली सूचनाओं सहित समस्त आस्तियों तथा लॉट–I, II, III, IV, V एवं VI को संविदा दस्तावेज में प्रकटित कर दिया गया है और इन्हें नीलामी में भाग लेने से पूर्व अनिवार्य रूप से देखा जाना है। यह माना जायेगा कि संविदाकार ने विक्रय के नियम एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वह कथित नियमों एवं शर्तों से बाध्य है।
29. संविदाकारों को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पॉवर बैक अप आदि सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। बैंक इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर अथवा तकनीकी कारणों या ई–नीलामी प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी बाधा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
30. कोटक महिन्द्रा बैंक अथवा इसके कर्मचारी विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति/यों के परिप्रेक्ष्य में किसी व्यक्ति से किसी दावे हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे।
31. यह सूचना बैंक की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात www.kotak.com पर भी अपलोड है और इच्छुक पार्टियाँ इसे देख भी सकती हैं।

अधिक विवरण के लिए बैंक के अधिकृत प्राधिकारी बतेश ठाकुर (मोबाइल नं. 9953690994) तथा बैंक अधिकारी श्री विनोद बहरानी (मोबाइल नं. +91–9810004107) तथा श्री विपुल दुबे (मोबाइल नं. +91–8377905113) से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6), 8(7) तथा 9(1) के तहत 15 दिवसीय विधिक विक्रय सूचना : कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा अद्यतन ब्याज तथा व्ययों सहित देयताओं को पूर्ण भुगतान करने तथा उपर्युक्त बकायों का इस सूचना की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर ''प्रतिभूत आस्ति'' (ऊपर उल्लिखित) की बिक्री उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कर दी जायेगी। यदि अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा के समाचार–पत्र में कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार–पत्र को स्थानीय भाषा के समाचार–पत्र पर वरीयता दी जायेगी और इसे अन्तिम प्रति माना जायेगा, इस प्रकार अस्पष्टता दूर हो जायेगी।

स्थान : दिल्ली तिथि : 14 जून, 2021 **अधिकृत प्राधिकारी, कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**